प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
   प्र0इ0रि0सं0......42..../2024 दिनांक 06/03/2024
   (I) धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) 120बी आईपीसी
   (II) अधिनियम..धाराऐं ....
   (III) अधिनियम..धाराऐं...................................
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.........522.................समय.......03.00pm
   (ब) अपराध घटने का दिन..........................दिनांक.........................समय.......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..................................समय.......
3. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
   (ब) पता – ....
   ....बीट संख्या..............................जरायमदेही सं.
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
   पुलिस थाना...जिला.......................................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :–सूत्र सूचना
   (अ) नाम –
   (ब) पिता / पति का नाम
   (स) जन्म तिथि / वर्ष..
   (द) राष्ट्रीयता...
   (य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...
   (ल) पता –
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
   1. डॉ0 रंजन लाम्बा पुत्र श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं हाल चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी यूनिट 8, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर
   2. श्रीमती सुनिता लाम्बा पत्नी डॉ0 रंजन लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं,
   3. श्री रामनिवास लाम्बा पुत्र श्री नथूराम लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं
   4. श्रीमती माली देवी पत्नी श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं।
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा पुत्र श्री रामनिवास लाम्बा पैतृक गांव उदावास जिला झुंझुनूं का रहने वाला है। डॉ0 रंजन लाम्बा जिसके पेन नम्बर ABCPL3955C, आधार नम्बर 998864254635, एम्पलाई आईडी आरजेजेपी201017006630 एवं मोबाईल नम्बर 8740934555 है। उक्त डॉ0 रंजन लाम्बा की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2010 में चिकित्सा विभाग में

चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी। संदिग्ध अधिकारी की वर्तमान में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में सर्जरी विभाग में यूनिट 8 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। संदिग्ध अधिकारी के पिता का नाम श्री रामनिवास लाम्बा है, जिनके पेन नम्बर ABCPL 3960F एवं आधार नम्बर 797870091724 एवं मोबाईल नम्बर 9413924446 है, जो वर्ष 2016 में पशुपालन विभाग मे पशुधन सहायक से सेवानिवृत होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती मालीदेवी एक गृहणी महिला होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जिनके पेन नम्बर ASBPM7586J एवं आधार नम्बर 827474875554 होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक भाई श्री रमन लाम्बा व एक बहिन है, भाई श्री रमन लाम्बा की मृत्यु वर्ष 2022 में हो चुकी है तथा बहिन विवाहित होकर अपने ससुराल में निवासरत है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा का विवाह वर्ष 2008 मे डॉ0 सुनिता लाम्बा जिसके पेन नम्बर ADLPL3419L, आधार नम्बर 551343366126 है, के साथ हुआ था। डॉ0 सुनिता लाम्बा की नियुक्ति वर्ष 2016–17 में सहायक प्रोफेसर के पद पर चिकित्सा विभाग में हुई थी। परन्तु कुछ समय बाद ही संदिग्ध अधिकारी की पत्नी डॉ0 सुनिता लाम्बा द्वारा नौकरी से त्याग पत्र दे दिया गया। संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के एक पुत्र अनव एवं एक पुत्री अन्वी है, जो वर्तमान में जयपुर के जयश्री पेडिवाल हाई स्कूल चित्रकूट जयपुर में अध्यनरत है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के द्वारा एवं उसकी पत्नी, माता व पिता के नाम से विभिन्न परिसम्पत्तियां में निवेश/खरीद करना सत्यापन से ज्ञात हुआ है, जिनकी आय एवं व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र अ, ब, स, द में निम्नानुसार है :–

प्रपत्र 'अ'

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा की नियुक्ति वर्ष 2010 से पूर्व अर्थात आलौच्य अवधि से पूर्व स्वयं व अपने परिजनों के नाम से अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण:–

कम सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का अनुमानित मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी के नाम ग्राम उदावास तह0 व जिला झुंझुनू में कृषि भूमि खसरा नम्बर 820 रकबा 1.88 है0 में से 0.54 हैक्ट्यर दिनांक 29.09.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि को खरीद करने में कुल 95,850 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	95,850/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी रंजन लाम्बा के नाम ग्राम उदावास तह0 व जिला झुंझुनू में कृषि भूमि खसरा 1053/945 रकबा 0.20 है0 मे से 1115.27 वर्गगज आवासीय भूखण्ड दिनांक 18.05.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त आवासीय भूखण्ड को खरीद करने में कुल 3,68,670 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	3,68,670/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी रंजन लाम्बा के नाम ग्राम उदावास तह0 व जिला झुंझुनू में कृषि भूमि खसरा 820 रकबा 2.96 है0 में से 1.08 हैक्ट्यर दिनांक 17.05.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि को खरीद करने में कुल 1,62,000 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	1,62,000/रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी रंजन लाम्बा के नाम ग्राम खाजपूर इण्डाली जाने वाली सड़क से हटकर कस्बा झुंझुनूं में खसरा नम्बर 2479, 2480/4083 कुल किता दो कुल रकबा 1.72 है0 में से 0.0585 हैक्ट्यर भूमि दिनांक 29.09.2007 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि को खरीद करने में कुल 2,74,080 रूपये व्यय	2,74,080/रूपये

	कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	
5	संदिग्ध अधिकारी रंजन लाम्बा की माताजी श्रीमती माली देवी के नाम ग्राम दीपलवास तहसील व जिला झुंझुनूं में कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2529.23 वर्गमीटर को दिनांक 23.10.2006 को खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त कृषि भूमि को खरीद करने में कुल 4,41,000 रूपये व्यय कर सम्पति अर्जित करने का अनुमान है।	4,41,000/रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी ने एक वाणिज्यिक भूखण्ड गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास श्री दीपक कुमार से 10,00,000 रूपये में दिनांक 02.04.2009 को क्रय करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूखण्ड को क्रय करने में स्टाम्प डयूटी के रूप में 1,28,510/रूपये व्यय करना अनुमानित है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को क्रय करने व अन्य खर्चे के रूप में कुल 11,28,510/रूपये व्यय कर परिसम्पत्ति अर्जित करने का अनुमान है।	11,28,510/रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी ने एक वाणिज्यिक भूखण्ड गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास श्री सौरभ कुमार से 10,00,000 रूपये में दिनांक 02.04.2009 को क्रय करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूखण्ड को क्रय करने में स्टाम्प डयूटी के रूप में 1,08,600/रूपये व्यय करना अनुमानित है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड को क्रय करने व अन्य खर्चे के रूप में कुल 11,08,600/रूपये व्यय कर परिसम्पत्ति अर्जित करने का अनुमान है।	11,08,600/रूपये
8	संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास लाम्बा द्वारा गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास झुंझुनूं स्थित स्पार हॉस्पिटल के सामने वाली गली में एक भूखण्ड करीब 300 वर्गगज का करीब 20 वर्ष पूर्व क्रय करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूखण्ड को क्रय करने में करीब 1,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,00,000/रूपये
8	संदिग्ध अधकारी द्वारा वर्ष 2007 में एक भूखण्ड सी–73, हस्तीनापुर, गांधीपथ पश्चिम, जयपुर (224 वर्गगज) खरीद करना ज्ञात हुआ है। उक्त भूखण्ड को 75,000/रूपये व्यय कर खरीद करने का अनुमान है।	75,000/रूपये
	कुल योग	37,53,710/रूपये

<u>प्रपत्र 'ब'</u>

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा व संदिग्ध अधिकारी के परिजनों के नाम से चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरणः–

क्र. सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का अनुमानित मुल्य रूपयों में
1	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं 1200 वर्गगज 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्री रणवीर गोदारा, 4–श्री विनोद जांगिड़ ने मिलकर 2,20,00,000 रूपये में खाली प्लाट दिनांक 08.08.2012 को क्रय किया, जिस पर स्टाम्प डयूटी 11,24,800 रूपये लगे,जिसकी कुल लागत 2,31,24,800 रूपये खर्च किया गया है, जिसमें आरोपी की माता श्रीमती माली देवी के हिस्से में 57,81,200 रूपये का खर्च हुआ है। उक्त प्लाट	1,70,76,200/रूपये

	पर सात मंजिला भवन का निर्माण किया गया, जिसका क्षेत्रफल 50,200 वर्गफीट है। जिसमें श्रीमती माली देवी (एस.ओ की माता) का 25 प्रतिशत हिस्सा 12,550 वर्गफिट होता है। बीएसआर रेट 2019 के अनुसार 900 रूपये प्रति वर्गफिट की दर से 1,12,95,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट के पेटे संदिग्ध अधिकारी की माता श्रीमती माली देवी ने 57,81,200 + 1,12,95,000 = 1,70,76,200 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
2	डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा दिनांक 02.04.2009 को गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास श्री दीपक कुमार एवं श्री सौरभ कुमार क्रय किये गये उक्त दोनों भूखण्डों पर वर्तमान में रजिस्ट्रड अभिलेख के अनुसार 933.03 वर्गगज पर स्पार होस्पिटल के नाम से संचालन कर रखा है जिसमें 8 मंजिल में लगभग 50,000 वर्गफिट का निर्माण वर्ष 2021 में किया गया है। बीएसआर रेट 2021 के अनुसार 900 रूपये प्रति वर्गफिट की दर से 900 X 50,000 = 4,50,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। साथ ही उक्त भवन में लगभग 68,00,000 रूपये का सोलर सिस्टम लगा रखा है तथा तीन ऑपरेशन थियेटर (दो मोडुलर व एक सामान्य) जिसकी निर्माण लागत व मेडिकल उपकरणों पर करीब 1,00,00,000 रूपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इसके अलावा मित्सुबीसी कम्पनी की वीआरवी मशीन सहित एसी सयंत्र लगा हुआ है, जिस पर अनुमानित लागत करीब 1,00,00,000 रूपये है। सम्पूर्ण होस्पिटल में फायर फाईटिंग सीस्टम लगा हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 25,00,000 रूपये है। हॉस्पिटल में एल्यूमिनियम व ग्लास का कार्य हो रखा है, जिस पर करीब 60,00,000 रूपये खर्च होने का अनुमान है। हॉस्पिटल में दो डीजी पावर सप्लाई के लिये लगे हुये है, जिस पर करीब 15,00,000 रूपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 4,50,00,000 + 68,00,000 + 1,00,00,000 + 1,00,00,000 + 25,00,000 + 60,00,000 + 15,00,000 = 8,18,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	8,18,00,000 / रूपये
3	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं 1200 वर्गगज 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्री रणवीर गोदारा, 4–श्री विनोद जांगिड़ ने मिलकर खाली प्लाट दिनांक 08.08.2012 को क्रय किया था, जिसमें से श्री रणवीर गोदारा का 25 प्रतिशत हिस्सा श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी) ने दिनांक 09.02.2017 को 1,49,00,000 रूपये में क्रय किया जिस पर स्टाम्प चार्ज के रूप में 8,68,570 रूपये खर्च किया गया है। इस प्रकार कुल लागत 1,57,68,570 रूपये व्यय किये जाने का अनुमान है। उक्त प्लाट पर उस वक्त निर्माण कार्य अर्द्वनिर्मित था, जिसका निर्माण श्रीमती सुनिता लाम्बा द्वारा वर्ष 2021 तक पूर्ण करवाया गया। उक्त अर्द्वनिर्मित प्लाट से पूर्ण निर्माण में श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी) द्वारा अपने 25 प्रतिशत हिस्सा 12,550 वर्गफिट जिसकी बीएसआर रेट 2021 के अनुसार 900 रूपये प्रति वर्गफिट का आधा 450 रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से 56,47,500 रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार उक्त प्लाट के पेटे श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी) 1,57,68,570 + 56,47,500 = 2,14,16,070 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	2,14,16,070 / रूपयें

4	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं के जी–2 ग्राउण्ड फ्लोर में दिनांक 29.06.2020 को इसके पश्चिमी भाग में स्थित 2720 वर्गफिट का ज्वैलरी शोरूम 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी), 4–श्री अभिषेक लाम्बा से आरोपी श्री रंजन लाम्बा ने 1,50,00,000 रूपये में क्रय किया गया है तथा 13,20,000 रूपये स्टेम्प चार्ज के रूप में खर्च किये गये है। इस प्रकार कुल लागत 1,63,20,000 व्यय किये जाने का अनुमान है। उक्त शोरूम में ज्वैलर्स का व्यापार खोलने के लिये कार्य निर्माणाधीन है जिस पर आन्तरिक साज सज्जा रख रखाव विदेशी फर्नीचर, पत्थर आदि पर लगभग 50,00,000 रूपये का खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 1,63,20,000 + 5000000 = 2,13,20,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त शौरूम वर्तमान में चालू अवस्था में नहीं होना ज्ञात हुआ है।	2,13,20,000 / रूपये
5	एक आवासीय प्लाट रेलवे फाटक गुढामोड के पास झुंझुनूं श्री मुस्ताक से दिनांक 02.09.2022 को 107 वर्गमीटर का 1,50,000 रूपये में आरोपी रंजन लाम्बा ने क्रय किया जिस पर सटाम्प चार्ज के रूप में 13,200 रूपये इस प्रकार कुल 1,63,200 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	1,63,200 / रूपये
6	एक आवासीय प्लाट रेलवे फाटक गुढामोड के पास झुंझुनूं श्री मुश्ताक से दिनांक 02.09.2022 को 176.39 वर्गमीटर का 2,45,000 रूपये में आरोपी रंजन लाम्बा ने क्रय किया जिस पर स्टाम्प चार्ज के रूप में 21,580 रूपये इस प्रकार कुल 2,66,580 रूपये व्यय होने का अनुमान है।	2,66,580 / रूपये
7	ग्राम उदावास में मुख्य सड़क पर राजकीय आईटीआई के पास दाहिनी तरफ खसरा नम्बर 820 रकबा 2.96 है0 में से 1.08 हैक्ट्यर दिनांक 17.05.2006 को श्री रंजन लाम्बा के नाम से क्रय किया गया है, जिस पर निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में चारों तरफ छः–छः फिट दीवार पर लगभग 8,00,000 रूपये एवं बेसमेंट सहित तीन मंजिला भवन जो लगभग 5000 वर्गफिट का निर्माण किया गया है। बीएसआर रेट 2017 के अनुसार 850 रूपये प्रतिवर्ग फिट की दर से 850 X 5000 = 42,50,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। फार्म में 150 X 100 में लॉन लगा हुआ है जिस पर 2,00,000 रूपये का व्यय होने का अनुमान है साथ में बोरिंग की गई है, जिस पर 5,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। आठ किलोवाट का सोलर पम्प लगा हुआ है जिस पर 5,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त निर्माण कार्य चार दिवारी, लॉन, सोलर पम्प, बोरिंग आदि पर लगभग 62,50,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त कृषि भूमि वर्ष 2006 में क्रय की गई थी परन्तु निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 में किया गया है। उक्त फार्म हाऊस में संदिग्ध अधिकारी एवं उसके परिजन समय–समय पर आकर ठहरना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।	62,50,000 / रूपये
8	झुंझुनूं से गुढा मुख्य सड़क पर गांव उदावास में मंगलम विहार के सामने खसरा नम्बर 820 रकबा 1.88 है0 में से 0.54 हैक्ट्यर दिनांक 29.09.2006 को श्री रंजन लाम्बा के नाम क्रय की गई, जिस पर वर्ष 2013–14 में चारों तरफ छः–छः फिट दीवार का निर्माण कार्य करवाया गया, जिस पर लगभग 5,00,000 रूपये एवं लोहे का बड़े दो गेट जिस पर लगभग 1,00,000, एवं दो कमरा, एक रसोई के निर्माण कार्य पर करीब 4,00,000 रूपये व्यय किया	10,00,000 / रूपये

	हुआ है। उक्त चार दीवारी दो कमरा एक रसोई एवं लोहे के गेट आदि पर लगभग 10,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त कृषि भूमि वर्ष 2006 में क्रय की गई थी परन्तु निर्माण कार्य वर्ष 2013–14 में करना ज्ञात हुआ है।	
9	ग्राम उदावास मुख्य सड़क पर खसरा नम्बर 1053/945 रकबा 0.20 हैक्टयर में से 1115.27 वर्गगज भूमि दिनांक 18.05.2006 को श्री रंजन लाम्बा के नाम क्रय की गई, जिस पर वर्तमान में संकल्प ओटो मोबाईल के नाम से वर्कशोप संचालित है। वर्ष 2013–14 में चारों तरफ छः फीट हाईट की दिवार का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिस पर लगभग 4,00,000 रूपये एवं लोहे का बड़ा गेट जिस पर 1,00,000 रूपये, एक दूकान एवं टीन सेड पर कुल 5,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। अतः कुल 10,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त कृषि भूमि वर्ष 2006 में क्रय की गई थी परन्तु निर्माण कार्य वर्ष 2011–12 में करना ज्ञात हुआ है।	10,00,000/रूपये
10	झुंझुनूं–गुढा रोड़ पर रेलवे फाटक के पास ग्राम दीलपवास तहसील व जिला झुंझुनू में मुख्य सड़क पर एफ.के. चायल धर्मकांटा के सामने दाहिनी तरफ कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 2529.23 वर्गमीटर को दिनांक 23.10.2006 को श्रीमती माली देवी के नाम क्रय की गई जिस पर वर्ष 2010–11 में चारों तरफ पॉच–पॉच फिट हाईट की दीवार का निर्माण कार्य करवाया गया है, जिस पर लगभग 4,00,000 रूपये एवं दक्षिण–पूर्व कोने पर एक दूकान पर लगभग 1,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। अतः कुल 5,00,000 रूपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त आबादी भूमि वर्ष 2006 में क्रय की गई थी परन्तु वर्ष 2010–11 में निर्माण कार्य करवाया गया है। उक्त भूखण्ड वर्तमान में खाली होना ज्ञात हुआ है।	5,00,000/रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी द्वारा पार्टनशीप में मैसर्स धनपति ज्वैलर्स के नाम से दिनांक 29.10.2018 को प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन करना ज्ञात हुआ है। जिसमें 2,14,16,000 रूपये का निवेश श्री रंजन लाम्बा द्वारा चैक से केनरा बैंक के चालू खाता संख्या 2330214000034 में किया गया है। संदिग्ध अधिकारी उक्त कम्पनी में 50 प्रतिशत का मालिकाना हक है।	2,14,16,000/रूपये
12	सी–73, हस्तीनापुर, गांधीपथ जयपुर में स्वयं आरोपी डॉ0 रंजन लाम्बा के नाम से आवासीय भूखण्ड करीब 224 वर्गगज का है। उक्त भूखण्ड वर्ष 2007 में डॉ0 रंजन लाम्बा के नाम से क्रय किया गया था। उक्त भूखण्ड पर वर्ष 2016 में दो मंजिला मकान बनाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें संदिग्ध आरोपी डॉ0 रंजन लाम्बा अपने परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूखण्ड में मकान निर्माण में अनुमानित लागत करीब 25,00,000 है।	25,00,000/रूपये
13	गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास झुंझुनूं स्थित स्पार हॉस्पिटल के सामने वाली गली में संदिग्ध आरोपी डॉ0 रंजन लाम्बा के पिता श्री रामनिवास लाम्बा पुत्र श्री नाथुराम द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड पर वर्ष 2016 में पुराना निर्माण तोड़कर नया निर्माण आरोपी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा किया गया है। उक्त भूखण्ड पर तीन मंजिला भवन का निर्माण करवाया गया है। उक्त भूखण्ड के मकान में करीब 2700 वर्गफीट का निर्माण कार्य है, जिसकी वर्ष 2016 की बीएसआर दर 800 रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से कुल 21,60,000 रूपये व्यय किये जाने का अनुमान है। उक्त निर्माण कार्य में बिजली व सेनेट्री आदि का कार्य भी हो रखा है,	25,92,000/रूपये

	जिसका 20 प्रतिशत 4,32,000 रूपये अतिरिक्त जोड़ने पर कुल 25,92,000 रूपये व्यय किये जाने का अनुमान है।	
14	संदिग्ध अधिकारी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61030085848 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 2,92,732/रूपये होना अनुमानित है।	2,92,732/रूपये
15	संदिग्ध अधिकारी के नाम बैंक ऑफ बडौदा में खाता संख्या 01280100025004 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 31,591/रूपये होना अनुमानित है।	31,591/रूपये
16	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम केनरा बैंक में खाता संख्या 2330101055349 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 1404/रूपये होना अनुमानित है।	1404/रूपये
17	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम केनरा बैंक में खाता संख्या 1240000580777 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 6410/रूपये होना अनुमानित है।	6410/रूपये
18	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी व माता तथा भाई अभिशेक लाम्बा के नाम केनरा बैंक में खाता संख्या 02330201001086 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 2,67,661/रूपये होना अनुमानित है। उक्त बैंक खाता के शेष बैलेन्स का संदिग्ध अधिकारी की पत्नी व माता का दो तिहाई हिस्सा 2,72,061/रूपये होना अनुमानित है।	2,72,061/रूपये
19	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम इण्डसइण्ड बैंक में खाता संख्या 100009523941 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 36,087/रूपये होना अनुमानित है।	36,087/रूपये
20	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में खाता संख्या 584802010001437 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 6239/रूपये होना अनुमानित है।	6239/रूपये
21	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61044252512 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 1,78,421/रूपये होना अनुमानित है।	1,78,421/रूपये
22	धनपति ज्वैलर्स (संदिग्ध अधिकारी का 50 प्रतिशत हिस्सा) के नाम केनरा बैंक में चालू खाता संख्या 2330214000034 होना ज्ञात हुआ है जिसमें चैक अवधि के अन्त में 134288/रूपये शेष बैलेन्स होना अनुमानित है। उक्त शेष बैलेन्स में संदिग्ध अधिकारी का 50 प्रतिशत हिस्सा 81,315/रूपये होना अनुमानित है।	81,315/रूपये
23	संदिग्ध अधिकारी के पिता के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 61027300919 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 2777/रूपये होना अनुमानित है।	2777/रूपये
24	संदिग्ध अधिकारी के पिता के नाम एसबीआई बैंक में खाता संख्या 01280100039234 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 1,11,785/रूपये होना अनुमानित है।	1,11,785/रूपये
25	संदिग्ध अधिकारी की माता के नाम इण्डसइण्ड बैंक में खाता संख्या 100009540801 में चैक अवधि के अन्त में शेष बैलेन्स 79,056/रूपये होना अनुमानित है।	79,056/रूपये
26	संदिग्ध अधिकारी व परिवारजनों की चैक अवधि से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां, जिनका विवरण प्रपत्र अ में दर्शाया गया है, जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। जिनका अनुमानित मुल्य 37,53,710/रूपये है	37,53,710/रूपये
	कुल योग	**18,21,53,638/रूपये**

[redacted]

<u>प्रपत्र 'स'</u>

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा एवं उसके परिजनों द्वारा चैक अवधि में अर्जित आय का विवरण :—

क्रम सं.	अर्जित आय का विवरण	आय रूपये में
1	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा की चैक अवधी में आयकर कटौती के पश्चात 1,18,75,300 / रूपये शुद्व आय होना अनुमानित है।	1,18,75,300 / रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती सुनिता लाम्बा की चैक अवधि में आयकर कटौती के पश्चात 1,00,18,520 / रूपये की आय होना अनुमानित है।	1,00,18,520 / रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी की माताजी श्रीमती माली देवी की चैक अवधि में आयकर कटौती के पश्चात 52,01,519 / रूपये की आय होना अनुमानित है।	52,01,519 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास की चैक अवधि में आयकर कटौती के पश्चात 47,32,783 / रूपये की आय होना अनुमानित है।	47,32,783 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी सुनिता लाम्बा का स्पार हॉस्पिटल के नाम से केनरा बैंक में ऋण खाता संख्या 170003373859 होना ज्ञात हुआ है व उक्त ऋण खाता से संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की लोन पेटे 3,18,61,000 / रूपये की आय होने का अनुमान है।	3,18,61,000 / रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास लाम्बा व माता श्रीमती माली देवी के नाम केनरा बैंक में संयुक्त खाता संख्या 125001447170 सीसी / ओडी खाता दिनांक 08.05.2023 को लिमिट 50,00,000 थी। चैक अवधि के अन्त में उक्त खाते से लोन पेटे 50,00,000 / रूपये की आय होने का अनुमान है।	50,00,000 / रूपये
7	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं के जी–2 ग्राउण्ड फ्लोर में दिनांक 29.06.2020 को इसके पश्चिमी भाग में स्थित 2720 वर्गफिट का ज्वैलरी शोरूम 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी), 4–श्री अभिषेक लाम्बा से आरोपी श्री रंजन लाम्बा ने 1,50,00,000 / रूपये में क्रय करना ज्ञात हुआ है, उक्त बेचान में आरोपी की माता श्रीमती माली देवी व पत्नी श्रीमती सुनिता लाम्बा का 50 प्रतिशत हिस्सा था। अतः उनके हिस्से में उक्त बेचान से 75,00,000 रूपये की आय होना अनुमानित है।	75,00,000 / रूपये
8	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं के जी–2 ग्राउण्ड फ्लोर में दिनांक 29.06.2020 को इसके पश्चिमी भाग में प्रथम तल पर स्थित 2720 वर्गफिट का ज्वैलरी शोरूम 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी), 4–श्री अभिषेक लाम्बा ने संयुक्त रूप से श्री शिवकरण जानू को 1,25,00,000 रूपये में बेचान किया। उक्त बेचान में आरोपी की माता श्रीमती माली देवी व पत्नी श्रीमती सुनिता लाम्बा का 50 प्रतिशत हिस्सा था। अतः उनके हिस्से में उक्त बेचान से 62,50,000 रूपये की आय होना अनुमानित है।	62,50,000 / रूपये
9	प्लाट नम्बर ए–2 माननगर झुंझुनूं के जी–2 ग्राउण्ड फ्लोर में दिनांक 29.06.2020 को इसके पश्चिमी भाग में द्वितीय तल पर स्थित 2720 वर्गफिट का ज्वैलरी शोरूम 1–श्री अरविन्द कुमार, 2–श्रीमती माली देवी (आरोपी की माता), 3–श्रीमती सुनिता लाम्बा (आरोपी की पत्नी), 4–श्री अभिषेक लाम्बा ने संयुक्त रूप से श्री शिवकरण जानू को 1,25,00,000 रूपये में बेचान किया।	62,50,000 / रूपये

	उक्त बेचान में आरोपी की माता श्रीमती माली देवी व पत्नी श्रीमती सुनिता लाम्बा का 50 प्रतिशत हिस्सा था। अतः उनके हिस्से में उक्त बेचान से 62,50,000 रूपये की आय होना अनुमानित है।	
10	वर्ष 2016 में संदिग्ध अधिकारी का पिता श्री रामनिवास लाम्बा की पशुपालन विभाग से सेवानिवृति पर करीब 9,62,260 रूपये मिलना अनुमानित है।	9,62,260 / रूपये
11	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के पिता श्री रामनिवास लाम्बा एवं अन्य श्री रमन लाम्बा, स्पार मेडिकेयर, श्री जयप्रकाश लाम्बा, श्रीमती पुष्पा लाम्बा, रविना लाम्बा, राजबाला लाम्बा, श्री अभिषेक लाम्बा के द्वारा प्लाट खरीदने के नाम से एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 668972849 पर 27,00,000 रूपये का लोन तथा खाता संख्या 668972863 पर 2,33,00,000 रूपयों का लोन दिनांक 01.12.2021 को लेना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन की राशि 27,00,000 रूपये प्लॉट विक्रेता के जाना एवं 2,33,00,000 रूपये संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास लाम्बा के एसबीआई बैक खाता संख्या 61027300919 में आना अनुमानित है। उपरोक्त सभी आठों सदस्यों में संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के पिता श्री रामनिवास लाम्बा का 1/8 हिस्सा मानने पर कुल राशि 2,33,00,000 का 1/8 हिस्सा 29,12,500 रूपये संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास लाम्बा के हिस्से में आय पेटे आना अनुमानित है।	29,12,500 / रूपये
	योग	9,25,63,882 / रूपये

प्रपत्र 'द'

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा व उसके परिजनों द्वारा चैक अवधि में किये गये व्यय का विवरणः—

क्रम सं.	किये गये व्यय का विवरण	व्यय रूपये में
1	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा चैक अवधि में अर्जित शुद्व आय 1,18,75,300/रूपये का एक तिहाई हिस्सा 39,58,433/रूपये असत्यापनिक व्यय के रूप में खर्च करने का अनुमान है।	39,58,433 / रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के बैक ऑफ बडौदा के ऋण खाता संख्या 01280600028636 सें दिनांक 01.05.2009 को 1700000 का लोन लेकर चैक अवधि के अन्त में उक्त लोन खाता बन्द होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता में ब्याज के रूप में 9,29,154 रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	9,29,154 रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के बैक ऑफ बडौदा के ऋण खाता संख्या 01280600030363 सें दिनांक 28.12.2016 को 10,00,000 का लोन लेकर चैक अवधि के अन्त में उक्त लोन खाता बन्द होना ज्ञात हुआ है। उक्त लोन खाता में ब्याज के रूप में 2,45,659/रूपये जमा करवाना ज्ञात हुआ है।	2,45,659 / रूपये
4	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी सुनिता लाम्बा का स्पार हॉस्पिटल के नाम से केनरा बैंक में ऋण खाता संख्या 170003373859 से 3,18,61,000/रूपये का लोन लेना व चैक अवधि के अन्त में ब्याज एवं मूल के रूप में 1,33,35,173/रूपये जमा करवाना अनुमानित है।	1,33,35,173 / रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री के अध्ययन के रूप में करीब 5,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	5,00,000 / रूपये
6	संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा के पिता श्री रामनिवास लाम्बा एवं अन्य श्री रमन लाम्बा, स्पार मेडिकेयर, श्री जयप्रकाश	6,29,981 / रूपये

	लाम्बा, श्रीमती पुष्पा लाम्बा, रविना लाम्बा, राजबाला लाम्बा, श्री अभिषेक लाम्बा के द्वारा प्लाट खरीदने के नाम से एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 668972849 पर 27,00,000 रूपये का लोन तथा खाता संख्या 668972863 पर 2,33,00,000 रूपयों का लोन दिनांक 01.12.2021 को लिया गया है। चैक अवधि के अन्त तक एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 668972849 पर लिये गये लोन राशि 27,00,000 रूपये पर ऋण के रूप में कुल 4,94,388 रूपये जमा करवाना अनुमानित है, उक्त जमा करवाये गये रूपयों में 1/8 हिस्सा एसओ के पिता श्री रामनिवास लाम्बा का मानने पर 61,798/ रूपये लोन पेटे जमा करवाना अनुमानित है। एचडीएफसी बैंक के खाता संख्या 668972863 पर लिये गये लोन राशि 2,33,00,000 रूपये पर ऋण के रूप में कुल 45,45,468 रूपये जमा करवाये गये है। उक्त जमा करवाये गये रूपयों में 1/8 हिस्सा एसओ के पिता श्री रामनिवास लाम्बा का मानने पर 5,68,183 रूपये चुकाये गये है। इस प्रकार 61,798 + 5,68,183 कुल 6,29,981/रूपये संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामनिवास लाम्बा के द्वारा बैंक में लोन पेटे जमा करवाना अनुमानित है।	
6	संदिग्ध अधिकारी के नाम बैंक ऑफ बडौडा में लोन खाता संख्या 01280500022269 द्वारा लिये गये लोन पेटे 14,084/रूपये ब्याज के रूप में जमा करवाया जाना अनुमानित है।	14,084/रूपये
	कुल योग	1,96,12,484/रूपये

इसके अलावा संदिग्ध आरोपी डॉ0 श्री रंजन लाम्बा पुत्र श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे क्रासिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं हाल चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी यूनिट 8, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर एवं उसके परिजन श्रीमती सुनिता लाम्बा (पत्नी), श्री रामनिवास लाम्बा (पिता) व श्रीमती माली देवी (माता) द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे वाहनों आदि पर भी लाखों रूपये खर्चा किया गया है तथा आरोपी व उसके परिजन उच्च श्रेणी के जीवन स्तर के आधार पर प्रचलित एवं व्यवहारिक तौर पर लाखों रूपयों का व्यय होना संभावित हैं, के सम्बन्ध में विस्तृत अन्वेषण किया जाना आवश्यक है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा एवं उसके परिजनों के अलग-अलग निवास स्थानों पर खडे वाहनों के नम्बरों का गोपनीय रूप से जानकारी हासिल करने पर कोना इलेक्ट्रीक नम्बर आरजे-18 सीडी 4078, वर्ना आरजे-18 सीए 3996, थार आरजे-18 यूए 7397, टाटा आरजे-18 सीई 2705, स्कोडा लोरा नम्बर एमएच 01एएक्स 9689, वेन्टो एमएच 06 एजेड 7498 वाहनों का संदिग्ध अधिकारी के द्वारा प्रयोग में लिया जाना जानकारी में आया है। उपरोक्त सभी वाहन आरोपित अधिकारी एवं उसके परिजनों के नाम नहीं होना पाये गये है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2010 से पहले अर्जित परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया है, जो 37,53,710/रूपये है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसम्पतियों का उल्लेख परिशिष्ट "ब" मे दर्शाया गया है, जो 18,21,53,638/रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2010 से अब तक अर्जित आय का उल्लेख परिशिष्ट "स" मे दर्शाया गया है, जो 9,25,63,882/रूपये अनुमानति है।

संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2010 से अब तक किये गये व्यय का उल्लेख परिशिष्ट ''द'' मे दर्शाया गया है, जिसके अनुसार कुल 1,96,12,484/रूपये व्यय करने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा व उसके परिवार जनों की चैक पिरियड वर्ष 2010 से अब तक के ज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त आय 9,25,63,882/रूपये होकर, अर्जित सम्पति का मूल्य = चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य 18,21,53,638 रूपये – चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 37,53,710 रूपये = 17,83,99,928/रूपये एवं व्यय राशि 1,96,12,484/रूपये पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 19,80,12,412/रूपये में से अर्जित आय 9,25,63,882/रूपये को घटाने पर 10,54,48,530/रूपये की परिसम्पतियां वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है, जो आय से लगभग 114 प्रतिशत अधिक है।

संदिग्ध अधिकारी व संदिग्ध अधिकारी से संबंधित निम्न ठिकानों (1) मकान नम्बर सी–73, हस्तीनापुर, गांधीपथ (पश्चिम) जयपुर (2) गुढा रोड रेलवे क्रासिंग के पास झुंझुनूं स्थित स्पार हॉस्पिटल के सामने वाली गली में स्थित मकान (3) झुंझुनू से गुढा रोड पर ग्राम उदावास में संदिग्ध अधिकारी डॉ0 रंजन लाम्बा का फार्म हाउस (4) स्पार हास्पिटल, रेलवे क्रोसिंग के पास, गुढा मोड झुंझुनूं (5) एसएमएस होस्पीटल स्थित संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय सर्जरी यूनिट–08 जयपुर व अन्य की यदि तलाशी ली जाती है तो कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सम्भावना है।

अतः संदिग्ध अधिकारी (1) डॉ0 रंजन लाम्बा पुत्र श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं हाल चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी यूनिट 8, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर (2) श्रीमती सुनिता लाम्बा पत्नी डॉ0 रंजन लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं, (3) श्री रामनिवास लाम्बा पुत्र श्री नथूराम लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं एवं (4) श्रीमती माली देवी पत्नी श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे कॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(रविन्द्र सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सीकर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त (1) डॉ0 श्री रंजन लाम्बा पुत्र श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं हाल चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी यूनिट 8, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर (2) श्रीमती सुनिता लाम्बा पत्नी डॉ0 श्री रंजन लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं, (3) श्री रामनिवास लाम्बा पुत्र श्री नथूराम लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं एवं (4) श्रीमती माली देवी पत्नी श्री रामनिवास लाम्बा जाति जाट, निवासी रेलवे क्रॉसिंग के पास, गुढा मोड़ झुंझुनूं के विरूद्ध अपराध संख्या 42/2024 दिनांक 06.03.2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री इस्माईल खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनू के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ. आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

6/3/24

(विशना राम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :–199–204

दिनांक :–06.03.2024

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात,क्रम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर
5. श्रीमान उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6. श्री श्री इस्माईल खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुंझुनू।

(विशना राम)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर